# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार (आर.ए.एस.)**
**जी.सी.एम.एस.नम्बरः– 2024 / 31**
**प्रार्थना पत्र संख्या :–07 / 2024 / पत्थरगढी**

गायत्री देवी पत्नी श्री चिमन लाल जाति बागडा ब्राह्मण निवारी मीनावाली करकपुरा रेलवे स्टेशन के पास जयपुर।

– – – प्रार्थीयां

**बनाम**

1. राधेश्याम पुत्र लोडीलाल
2. रूपनारायण पुत्र गंगासहाय
3. रामनिवास पुत्र गंगासहाय
4. केसरी देवी पत्नी बिरदा
5. गंगासहाय पुत्र पन्ना
6. गजेन्द्र प्रसाद उर्फ भगवान सहाय
7. गणेश पुत्र भूराराम
8. पतासी पत्नी भगवान सहाय
9. फूलचन्द पुत्र बिरदा
10. बनवारी लाल पुत्र भगवान सहाय
11. मनफूली देवी पुत्री बिरदा
12. राजू देवी पुत्री बिरदा
13. रामस्वरूप पुत्र भगवान सहाय
14. लक्ष्मीनारायण पुत्र बिरदा
15. लालचन्द पुत्र बिरदा
16. शंकर पुत्र बिरदा
17. सीताराम पुत्र भगवान सहाय
18. कालू पुत्र श्रवण
19. गजेन्द्र पुत्र भैरूराम
20. गुलाब पुत्र नानू
21. गोपाल पुत्र हनुमान
22. छोटा देवी पत्नी भैरूराम
23. जगदीश पुत्र कल्याण
24. दोलाराम पुत्र श्रवण
25. नाना देवी पत्नी लोडीलाल
26. प्रभाती पत्नी मांगू
27. मुन्नी देवी पुत्री लोडीलाल
28. मनफूली पुत्री लोडीलाल
29. मुरली पुत्री लोडीलाल
30. महेन्द्र पुत्र भैरूराम
31. रामपाल पुत्र हनुमान
32. रामस्वरूप पुत्र प्रभू
33. लक्ष्मी देवी पत्नी लोडीलाल

उपखण्ड अधिकारी

34.लक्ष्मीनारायण पुत्र लोडीलाल (फौत)
- 34/1. मुरली देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
- 34/2. महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
- 34/3. भागचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण
- 34/4. संतोष देवी लक्ष्मीनारायण

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

35.लालचन्द पुत्र नानू
36.श्यामलाल पुत्र प्रभू
37.सत्यनारायण पुत्र हनुमान सहाय
38.सुगन पुत्री भैरूराम
39.सुशीला पुत्री भैरूराम
40.सीताराम पुत्र नानू
41.सीताराम पुत्र लोडीलाल
42.सीताराम पुत्र गंगासहाय
43.हरी पुत्र नानू

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

44.कमला देवी पत्नी कालू
45.राजेश कुमार पुत्र कालूराम जाट समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।
46.कैलाश पुत्र कन्हैयालाल
47.नितेश पुत्र बाबूलाल
48.मंजू देवी पत्नी बाबूलाल
49.राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल समस्त जाति लखेरा निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।
50.भंवर सिंह पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी ग्राम सरनाचौड तहसील कालवाड जिला जयपुर।
51.बाल्या पुत्र नारायण (फौत)
- 51/1. लादूराम पुत्र बाल्या
- 51/2. बच्चूराम पुत्र बाल्या
- 51/3. हरिनारायण पुत्र बाल्या
- 51/4. मधु पुत्री घासीराम पौत्री बाल्या

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

52.राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।

--- अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111**
**भू राजस्व अधिनियम**

**निर्णय** दिनांक 20/05/2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीयां ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में

उपखण्ड अधिकारी
जिला- जयपुर

भूमि खसरा नम्बर 285/1 रकबा 0.2100 हैक्टे0, खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा नम्बर 291/1 रकबा 0.0700 हैक्ट0, खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.2200 हैक्टे0, खसरा नम्बर 292/3 रकबा 0.0900 हैक्टे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.7200 हैक्टे0 स्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थीयां है।

उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2023 को उप तहसीलदार मुण्डोता के आदेश क्रमांक/कैम्प/खोराबीसल/23/06 दिनांक 07.06.2023 की पालना में सीमाज्ञान उभयपक्षों की उपस्थिति में किया गया। उक्त कृषि भूमि के सीमाकंन अनुसार प्रार्थीया पत्थरगढी करवाना चाहते है पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 51 को उक्त सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी बावत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थीयां के पक्ष में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सकें।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 285/1 रकबा 0.2100 हैक्टे0, खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा नम्बर 291/1 रकबा 0.0700 हैक्ट0, खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.2200 हैक्टे0, खसरा नम्बर 292/3 रकबा 0.0900 हैक्टे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.7200 हैक्टे0 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर की पत्थरगढी अप्रार्थीगण को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1, 19, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38 व 41 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह चौधरी ने यू.टी. दी, इनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 29.07.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 2, 3, 42, 23 की ओर से श्री कैलाश बागडा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण 4 ता 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31 ता 32, 35 ता 37, 39, 40, 43 ता 50, 34/1 ता 34/4 एवं 51/1 ता 51/4 मुताबिक ट्रेक रिपोर्ट तामिल पूर्ण होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 2, 3, 23, 42 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इनका जवाव बंद किया गया। एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया, अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाव प्रार्थना पत्र या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उपतहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरगढी करवाया जाना उचित है। प्रार्थीया उक्त आराजी के खातेदार है, जिन्होंने दिनांक 12.06.2023 को सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी पालना में पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिससे प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जालसू को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 285/1 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
... जयपुर

0.2100 हैक्टे0, खसरा नम्बर 285/2 रकबा 0.1300 हैक्टे0, खसरा नम्बर 291/1 रकबा 0.0700 हैक्ट0, खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.2200 हैक्टे0, खसरा नम्बर 292/3 रकबा 0.0900 हैक्टे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.7200 हैक्टे0 ग्राम राधाकिशनपुरा, पटवार हल्का राधाकिशनपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थीया से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व हितबद्व एवं पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। तहसीलदार जालसू को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी,
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी रामपुरा
रामपुराडाबडी (जिला-जयपुर